भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 244

05.02.2024 को उत्तर के लिए

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करना

244. श्री नव कुमार सरनीया :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को बंद करने के लिए क्या नियम/दिशानिर्देश/संविधि है;

(ख) क्या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी करना और व्यक्तिगत सुनवाई करना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना और बिना व्यक्तिगत सुनवाई के अब तक किन-किन प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद किया गया है और उन कंपनियों की सूची क्या है जिनके उद्योग बंद करने के निर्देशों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रद्द कर दिया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 'निरीक्षण, रिपोर्ट तैयार करने और कार्रवाई के लिए मानक प्रोटोकॉल' तैयार किया है। इस प्रोटोकॉल में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

सामान्य तौर पर, मामूली उल्लंघनों के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत बंद करने के निदेश जारी करने से पहले इकाई को एक अवसर प्रदान करने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। हालांकि, यदि कोई इकाई निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के संबंध में घोर उल्लंघन करते हुए पाई जाती है और उसमें ऐसी अन्य कमियां पाई जाती हैं जिनसे पर्यावरण को गंभीर रूप से क्षति पहुँचाने की संभावना होती है, तो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत सीधे इकाई को बंद करने के निदेश जारी किए जाते हैं। ऐसे कुछ घोर उल्लंघनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. आंशिक रूप से शोधित या अशोधित बहिस्राव का कोई भी सह निस्सरण और उत्सर्जन देखा गया हो।

ii. शोधित या अशोधित या दोनों प्रकार के पानी को भूजल में डालना (रिवर्स बोरिंग)।

iii. निष्क्रिय बहि:स्राव शोधन संयंत्र (ईटीपी) या वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (एपीसीडी) वाली परिचालन इकाई हो और/या वह ईटीपी या एपीसीडी को लगाए बिना संचालित हो रही हो।

iv. खतरनाक अपशिष्ट के अनधिकृत निपटान या डंपिंग जिससे पर्यावरण को गंभीर क्षति होने की संभावना हो।

(घ) : ऑनलाइन सतत बहि:स्राव/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) के आधार पर, सीपीसीबी ने वर्ष 2020 से 215 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया है, जिनमें से 83 इकाइयों को पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। उल्लंघनों की गंभीरता के आधार पर, कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना सीधे 7 इकाइयों को बंद करने के निदेश जारी किए गए थे। इन सभी 7 इकाइयों ने बाद में निर्धारित पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन किया है। सीपीसीबी द्वारा जिन 7 इकाइयों को सीधे बंद करने के निदेश जारी किए गए थे उनकी सूची इस प्रकार है :

क्र.सं.	**इकाई का नाम**	**क्षेत्र**
1	मैसर्स मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (समस्तीपुर डेयरी), समस्तीपुर, बिहार	डेयरी
2	मैसर्स हेमा लेबोरेटरीज, रायचूर, कर्नाटक	फार्मास्युटिकल
3	मैसर्स नियोक्स स्पेशलिटी पेपर मिल, मेहसाणा, गुजरात	लुगदी और कागज
4	जागृति शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देवनी, महाराष्ट्र	चीनी
5	धाराशिव साखर कारखाना लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	चीनी
6	आस्तिक डाईस्टफ प्राइवेट लिमिटेड, अंकलेश्वर, गुजरात	डाई एवं डाई इंटरमीडिएट
7	मैसर्स अथानी शुगर्स लिमिटेड, महाराष्ट्र	चीनी

*****